भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1220

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि भूमि को कम करना

1220 श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास कार्यों के लिए भूमि हेतु वृक्षों और फसलों को लगातार खत्म किया जा रहा है जिससे किसानों की आजीविका समाप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विकास किसानों की कीमत पर न हो;

(ग) क्या सरकारी प्राधिकारी अक्सर उन किसानों को पूर्व सूचना दिए बिना ही पेड़ों और फसलों को काट देते हैं जो उनका प्रत्यारोपण भी नहीं कर पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं कि विकास कार्यों के लिए ली गई भूमि का मुआवजा वर्तमान दरों के अनुरूप हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है। अत: राज्य सरकारों को कृषि योग्य भूमि को वाणिज्यिक गैर-कृषि उपयोग के परिवर्तन को रोकने के लिए उचित उपाय करने होते हैं। यद्यपि, भारत सरकार, उचित नीतिगत उपायों तथा बजटीय प्रावधानों से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राष्ट्रीय किसान नीति- 2007 (एनपीएफ-2007) के अंतर्गत राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों सहित गैर-कृषि विकासपरक गतिविधियों हेतु निम्न जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे अकृष्य भूमि, क्षारियता, अम्लीयता इत्यादि से प्रभावित भूमियों को चिंहित करें। राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 (एनआरआरपी-2007) में भी सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो, परियोजनाओं की स्थापना बंजर भूमि, निम्नीकृत भूमि अथवा असिंचित भूमि पर की जाए। गैर कृषि उपयोग हेतु सिंचित, बहु-फसलीय कृषि भूमि का कम से कम अधिग्रहण हो अथवा जहां तक संभव हो इससे बचा जाए।

वृक्षों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उत्तरदायित्व है। देश के वृक्ष संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु सुदृढ़ कानूनी कार्यढांचा हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन नीति, 1988, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य वन अधिनियम/राज्य विशिष्ट वृक्ष संरक्षण अधिनियम एवं नियम आदि शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार वनों की सुरक्षा और वृक्षों की कटाई को विनियमित करने के लिए उचित कार्रवाई करती है। वृक्षों की कटाई की अनुमति संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा विभिन्न अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों और माननीय न्यायालयों के निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 2 से 4 गुना होता है।

*****